भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1977
05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

1977 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वर्ष - वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) महिला लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों सहित इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की 18,531.61 करोड़ रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 8,504.58 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस स्वीकृत केंद्रीय हिस्से के सापेक्ष, PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 5,358.81 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, केंद्रीय हिस्से और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर प्रस्तुत है।

(घ): PMMSY के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों के तहत महिला लाभार्थियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभार्थियों के लिए इकाई लागत सहायता को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करते हुए समावेशी विकास को शामिल किया गया है। यह अनुमान है कि PMMSY के तहत स्वीकृत परियोजनाएं देश में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित कुल 58 लाख मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही हैं। PMMSY के तहत शामिल महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर प्रस्तुत है।

अनुबंध-I

PMMSY के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में 5 अगस्त, 2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: PMMSY के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, केंद्रीय हिस्से और जारी की गई केंद्रीय धनराशि का राज्य-वार विवरण।

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परियोजना लागत	केंद्रीय शेयर	जारी केंद्रीय शेयर
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	260.09	240.58	15.09
2.	आंध्र प्रदेश	2,053.29	601.81	365.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	211.67	149.12	119.18
4.	असम	431.41	247.31	191.75
5.	बिहार	396.29	134.48	77.95
6.	छत्तीसगढ़	827.05	283.46	234.82
7.	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	129.89	127.16	1.79
8.	दिल्ली	1.47	0.76	0.19
9.	गोवा	114.23	60.27	47.08
10.	गुजरात	855.63	329.92	164.41
11.	हरियाणा	697.80	244.08	153.21
12.	हिमाचल प्रदेश	113.80	60.30	59.27
13.	जम्मू और कश्मीर	127.97	67.77	65.95
14.	झारखंड	368.12	134.21	86.13
15.	कर्नाटक	890.63	329.99	265.94
16.	केरल	1,159.86	505.02	424.22
17.	लद्दाख	32.24	19.35	11.42

18.	लक्षद्वीप	22.13	17.34	0.98
19.	मध्य प्रदेश	762.27	260.03	246.80
20.	महाराष्ट्र	1,442.87	537.98	355.54
21.	मणिपुर	175.49	81.77	18.94
22.	मेघालय	111.17	62.67	57.54
23.	मिजोरम	120.36	65.87	73.66
24.	नागालैंड	141.78	93.42	81.10
25.	ओडिशा	1,086.52	416.85	293.55
26.	पुडुचेरी	316.41	276.62	82.49
27.	पंजाब	119.28	35.62	23.78
28.	राजस्थान	56.77	20.21	6.80
29.	सिक्किम	72.08	45.43	40.85
30.	तमिलनाडु	1,068.84	415.13	203.64
31.	तेलंगाना	297.39	96.29	33.40
32.	त्रिपुरा	233.07	135.86	84.08
33.	उत्तर प्रदेश	895.33	292.15	216.46
34.	उत्तराखंड	274.14	151.95	148.42
35.	पश्चिम बंगाल	546.38	223.19	87.04
क	**कुल (CSS)**	**16,413.71**	**6,763.97**	**4,338.85**
ख	**PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक**	**2,117.90**	**1,740.61**	**1,019.96**
क+ख	**कुल(CSS + CS)**	**18,531.61**	**8,504.58**	**5,358.81**

अनुबंध-II

PMMSY के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 5 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: PMMSY के तहत शामिल महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	महिला लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार आइलैंड्स	385	Nil	51
2.	आंध्र प्रदेश	1232	19148	904
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	5123
4.	असम	6809	22184	5172
5.	बिहार	7904	5740	1117
6.	छत्तीसगढ़	8043	2815	9798
7.	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	2	Nil	35
8.	दिल्ली	12	2	Nil
9.	गोवा	389	40	108
10.	गुजरात	17668	3064	17054
11.	हरियाणा	11731	4275	Nil
12.	हिमाचल प्रदेश	1872	2930	511
13.	जम्मू और कश्मीर	45	2287	599
14.	झारखंड	4331	2248	7318
15.	कर्नाटक	11929	3249	2122
16.	केरल	752	453	174
17.	लद्दाख	5	Nil	677
18.	लक्षद्वीप	Nil	500	1096
19.	मध्य प्रदेश	6958	5468	34596
20.	महाराष्ट्र	14341	10169	3343
21.	मणिपुर	1686	2170	2176
22.	मेघालय	1438	183	6021

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	महिला लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या
23.	मिजोरम	617	450	92112
24.	नागालैंड	391	Nil	9638
25.	ओडिशा	8947	14114	2579
26.	पुडुचेरी	355	229	Nil
27.	पंजाब	2123	227	49
28.	राजस्थान	895	124	336
29.	सिक्किम	10	373	940
30.	तमिलनाडु	13496	889	Nil
31.	तेलंगाना	1466	43638	19591
32.	त्रिपुरा	3331	12932	33786
33.	उत्तर प्रदेश	15830	5328	Nil
34.	उत्तराखंड	771	767	618
35.	पश्चिम बंगाल	1082	2045	286
	कुल	**146848**	**168042**	**257930**
